जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

47/16

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 47/2016 अनवानी 1–राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम 2–भगवानाराम 3–गोपीराम पि. गंगाबिशन जातियान बिश्नोई निवासी मानकसर तह0 सूरतगढ बनाम 1–राजाराम 2–इन्द्राज पि0 काशीराम 3–श्रवणकुमार 4–छतुराम 5–जयपाल पि. सुरजाराम जातियान बिश्नोई नि0 मानकसर तहसील सूरतगढ 6–शायरीदेवी पत्नि मोहनलाल नि0 5 पीपीएन 7–राकेशकुमार 8–रमेश 9–सुमना पुत्र पुत्रीया मोहनलाल जाति बिश्नोई नि0 मानकसर तह0 सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.09.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित दावा अनवानी राजाराम आदि बनाम भगवानाराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में दावा अनवानी राजाराम आदि बनाम भगवानाराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1667
26-9-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर